संख्या-सम्ब0-610/सत्तर-2-2014-2(610)/2014

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय,
मेरठ।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 25 जून, 2014

विषयः- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांकः सम्बद्धता/1110, दिनांक 1.6.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन श्री महावीर गर्ल्स डिग्री कालेज, ग्राम-पौहल्ली, सरधना रोड, मेरठ को वाणिज्य संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0एससी0 (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व गणित) पाठ्यक्रमों/विषयों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन, अग्निशमन प्रमाण पत्र वांछित होने, सामूहिक नकल में आरोपित न होने का प्रमाण वांछित होने, रू0 100/ का शपथ पत्र वांछित होने, वर्ष 2012 व 2013 की बैलेंससीट वांछित होने एवं शिक्षकों का अनुमोदन वांछित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.7.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

(1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

(2) कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा- प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।

Secretary
Shree Mahaveer Girls Degree College
Sardhana Road, Meerut.

-2-

(3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

(4) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(5) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव।

<u>संख्या-सम्ब0-610 (1)/सत्तर-2-2014, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
(3) सचिव/प्रबन्धक, श्री महावीर गर्ल्स डिग्री कालेज, ग्राम-पौहल्ली, सरधना रोड, मेरठ।
(4) अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
(5) निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री (श्रीमती अनिता सिंह), उ0प्र0शासन।
(6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
अनु सचिव

Secretary
Shree Mahaveer Girls Degree College
Sardhana Road, Meerut.